(ग) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है ;

(घ) ऐसी योजना को कब और देश के किन-किन स्थानों पर लागू किये जाने का विचार है ; और

(ङ) इस योजना के अंतर्गत कितने युवकों को प्रति वर्ष प्रशिक्षण दिया जायेगा ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच0 पटेल) : (क) "ट्रेनिंग स्कीम फार रूरल यूथ" समाचार 10 फरवरी, 1992 के "दि ट्रिब्यून" में प्रकाशित हुआ है न कि "दैनिक ट्रिब्यून में । सरकार को इस समाचार की जानकारी है ।

(ख) भारत सरकार द्वारा ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देने की एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना "ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना" (ट्राइसेम) शुरु की गई थी ताकि वे स्वरोजगार के कार्य शुरु कर सकें ।

(ग) ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना (ट्राइसेम) के अन्तर्गत गरीबी की रेखा से नीचे बसर कर रहे परिवारों के ग्रामीण युवाओं को तकनीकी और उद्यमशील हुनर सिखाए जाते हैं, ताकि वे स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार शुरू कर सकें।

(घ) यह योजना 15 अगस्त, 1979 को शुरू की गई थी और इसे पूरे देश में कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ङ) 1991–92 में 4.25 लाख युवाओं को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य है।

Protection of Indian industry from Foreign companies

*224. SHRI SATCHIDANANDA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government have liberalised the participation of foreign companies in trade and industry in India;

(b) whether such companies have been permitted 100 per cent trading and use of foreign brand names on their products;

(c) whether liberalised participation of foreign companies and use of foreign brand names is likely to adversely affect Indian Industry; and

(d) if so, the action taken to protect the interests of Indian Industry?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI P. J. KURIEN): (a) and (b) Yes, Sir. In terms of the New Industrial Policy announced on 24th July, 1991, foreign equity upto 51 per cent is allowed in the high priority sector (Annexure-III) and to trading companies, primarily engaged in export activities by Reserve Bank of India under automatic clearance. Other foreign investment proposals, outside the parameters for automatic clearance, are also considered and cleared on merits by the Government.

To bring the policy of use of trade mark in India in consonance with the liberalisation schemes, Government have decided to remove restriction on the use of brand name/trade mark, whether foreign or Indian owned, in India, provided these do not violate any statute, rules or regulations of the country.

(c) and (d) In view of the significant development of India's industrial economy in the last 40 years, the general resilience, size and level of sophistication achieved and the significant changes that have also taken place in the world industrial economy, the relationship between domestic and foreign industry needs to be much more dynamic than it has been in the past in terms of both technology and investment. This is also the appropriate time to response greater confidence in the ability of the domestic industry to meet and rise to new challanges posed by a global economy. Foreign investment would bring attendant advantages of technology transfer, marketing expertise, introduction of modern managerial techniques and new possibilities for promo-

tion of exports. Therefore, it will not adversely affect the Indian Industry.

Recommendations of the Satish Chandra Committee

*225. SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: Will the PRIME MINISTER be pleased to refer to the answer to the Unstarred Question 2209 given in the Rajya Sabha on 12th December, 1991 and state:

(a) whether Government have accepted the recommendations of the Satish Chandra Committee for conducting all the UPSC examinations in Indian languages;

(b) if so, by when it is likely to be implemented; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SHRIMATI MARGARET ALVA): (a) to (c) The Report of the Satish Chandra Committee relating to language policy for the examinations conducted by Union Public Service Commission is still under consideration of the Government.

महासागर विकास विभाग में विभिन्न क्षेत्रों का निजीकरण

*226. **मौलाना अबैदुल्ला खान आजमी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महासागर विकास विभाग में विभिन्न क्षेत्रों में निजीकरण लागू करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) नहीं श्रीमान।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

भूकम्प पीड़ितों के लिये औषधियों की आपूर्ति

@*228. **श्री अनन्त राम जायसवाल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जनवरी, 1992 के अन्तिम सप्ताह के दौरान इस आशय की शिकायत प्राप्त हुई है कि "इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड' द्वारा उत्तर प्रदेश में भूकम्प पीड़ितों के लिये एसी दवाइयां सप्लाई की गयी थीं, जिनकी मियाद खत्म हो चुकी थी, तथा जो अनावश्यक थीं ;

(ख) क्या इस संबंध में कोई कार्यवाही की गई है ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्ता मोहन) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) शिकायत की जांच की गई है और यह पाया गया है कि इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि० द्वारा किसी मियाद बीती या अनावश्यक दवाई की सप्लाई नहीं की गई थी।

राष्ट्रीय नेताओं के संबंध में दूरदर्शन के कार्यक्रम

*229. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992 के दौरान दूरदर्शन द्वारा अपने राष्ट्रीय नेटवर्क पर जिन-जिन राष्ट्रीय नेताओं से संबंधित कार्यक्रमों को दिखाये जाने की योजना है, उनके नाम क्या-क्या हैं ; और

(ख) इस संबंध में समयबद्ध कार्यक्रम क्या हैं ?

@पूर्वत: तारांकित प्रश्न 108, 4 मार्च, 1992 से स्थानांतरित।